

नरेश
कु-

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

17/3/25

कि वादी द्वारा परिवारी सै. 1 व 2 की सही सफुलत न्यायालय में प्रेष नहीं किया जाने से सम्मन अदम तामील लौटे हैं। (सू. वादी) उत्तरों का उत्तरांतर पत्र उपरोक्त विवेक के माता प्रा. उत्तरांतर किया जाता है। वादी परिवारी सै. 1 व 2 की सही सफुलत के माता सम्मन तलबाने पुनः प्रेष करे। प्रयापनी वास्ते तलबी दि. 22/4/25 को प्रेष हो।

17/3/25

7/4/25

पत्रावली प्रेष हुयी उमयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली सादिक आदेश दिनांक 22/4/25 को प्रेष हो।

जयदेव सिंह

28/4/25

पत्रावली प्रेष हुई। वादी आदि. उत्तर. वादी आधीवक्ता द्वारा दिनांक 5/12/24 की वादी सै. 1 की मूल्दु होने तथा वादी सै. 1 के लैरिफिक कारिसान पूर्व में ही रिकॉर्ड पर होने के कारण वादी सै. 1 का नाम विलीफित किने जाने हेतु उत्तरांतर पत्र प्रेष किया गया। उत्तरांतर पत्र सा. मिलल किया गया। परिवारी सै. 1 व 2 के सम्मन पुनः प्रेष होने पर वादी हों। पत्रावली वास्ते उत्तरांतर पत्र के अबाब) नरस एवं परिवारी सै. 1 व 2 की तलबी हेतु दिनांक 14/5/25 को प्रेष हो।

22/4/25

14/5/25

पत्रावली प्रेष हुई। वादी एवं वादी आधीवक्ता अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधीवक्ता को निपमानुसार लेन कार मावाजे लगवाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं

— लगातार — 14/5/2025

सहायक क्लर्क
भोलवाड़ा

14/5/25

वादी आधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर न्यायालय में पुनः एक बार आवाज लगाई गई, परन्तु कौरी उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत बाद अन्तर्गत धारा 88, 99क एवं 188 सम्बन्धित काश्तकारी आधिवक्ता को अदम (राजकी) अदम पैरवी में खाईल किया जाता है। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार लेकर वापील दफ्तर ही तथा नम्बर से कम हो।

S-1
14/5/25

न्यायालय
भीलवाड़ा

...

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. मदन लाल पुत्र छोगा लाल ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. सत्यनारायण पुत्र मदन लाल ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. कैलाश पुत्र मदन लाल ब्राह्मण निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. छोगालाल पुत्र अमरचन्द गुरुजी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मीलाल पुत्र अमरचन्द गुरुजी उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92क व 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 09/2020 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अमित कोठारी अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 14.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


14/5/2025
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा